

समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री पंकज कुमार निराला पे० श्री गणेश प्रसाद महतो, ग्राम मुरलीगंज वार्ड नं०-०५, थाना- मुरलीगंज, जिला मधेपुरा ने लिखित रूप में आवेदन बायोडाटा के साथ समर्पित कर सूचित किया है कि इनके नाम से एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं०-०५/२००१(मुरलीगंज थाना) पर धारित शस्त्र सं०-ए.बी.०१-५०९० एवं एन.पी.बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति सं०-०१/२००५(मुरलीगंज थाना) पर धारित शस्त्र सं०-आर.पी.-१२२५३२ निर्गत है। इन्होंने अपने आवेदन में अंकित किया है कि अस्वस्थता के कारण निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र का निरीक्षण नहीं करवा सका है। इन्होंने शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्त करते हुए भौतिक सत्यापन कराये जाने की अपेक्षा की है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक १८३५/१०, दिनांक ०९-०९-२०१३ के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक ०४-१०-२०१३ एवं ०५-१०-२०१३ का तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गई थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः १९-१०-२०१३ की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद भी श्री पंकज कुमार निराला(अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं डाटावेश समर्पित नहीं किया है, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक १४०/शस्त्र, दिनांक १२-१२-२०१३ एवं १४२/शस्त्र, दिनांक १२-१२-२०१३ के द्वारा शस्त्र नियमावली-१९६२ के नियम-६३ एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त-९(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत शस्त्र एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं०-०५/२००१(मुरलीगंज थाना) एवं एन.पी.बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति सं०-०१/२००५(मुरलीगंज थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाब आवेदन प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा समर्पित बायोडाटा में अपना उम्र ३५ वर्ष अंकित किया है। इनके द्वारा समर्पित डॉ० एच.एन. राय, फिजिशियन एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक ०६-१०-१३ को निर्गत चिकित्सीय प्रमाण पत्र अवलोकन से ज्ञात होता है कि इन्हें ८-१०-२०१३ तक आराम की सलाह दी गई है, जबकि जिला स्तर से एक और नौका देते हुए मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा में विवरण दिनांक १९-१०-२०१३ को समर्पित करने हेतु आम सूचना समाचार पत्र के माध्यम से निर्गत किया गया था। परन्तु उक्त तिथि को भी इन्होंने अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। इनके अनुज्ञप्ति की छायाप्रति अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनके अनुज्ञप्ति सं०-०५/२००१(मुरलीगंज थाना) एवं अनुज्ञप्ति सं०-०१/२००५(मुरलीगंज थाना) पर उपर वर्णित भौतिक सत्यापन की तिथियों में शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। इसलिए अनुज्ञप्तिधारी अस्वस्थता का बहाना बनाकर बचना चाहते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन पर मुरलीगंज में स्थापित कोल्ड स्टोरेज के बकाया बिजली विल का भुगतान नहीं किए जाने के कारण इन पर निलाम पत्र वाद सं०-०१/२०११-१२/०५/२०१३ दाखिल है, जिसमें इनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट निर्गत है। गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे हैं, जबकि वे अपने आवेदन में अस्वस्थता अंकित किए हैं। उनका यह कथन पूर्णतया मनगढ़ंत एवं सत्य से पड़े है, जो अनुज्ञप्ति शर्तों का उल्लंघन के साथ-साथ मनमानेपन का द्योतक है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा-१७ का उल्लंघन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं०-०५/२००१(मुरलीगंज थाना) एवं एन.पी.बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति सं०-०१/२००५(मुरलीगंज थाना) को रद्द किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी श्री पंकज कुमार निराला पे० श्री गणेश प्रसाद महतो, ग्राम मुरलीगंज वार्ड नं०-०५, थाना- मुरलीगंज, जिला मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना दोनों शस्त्र अनुज्ञप्तियों मूल जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं उस पर धारित शस्त्र मुरलीगंज थाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा में पत्र प्राप्त के २४ घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री पंकज कुमार निराला द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में " रद्द " प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

६०/-

जिला दंडाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....११३...../शस्त्र, दिनांक.....२१-३-१४.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री पंकज कुमार निराला पे० श्री गणेश प्रसाद महतो, ग्राम मुरलीगंज वार्ड नं०-०५, थाना- मुरलीगंज, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

21/3/14  
जिला दंडाधिकारी,  
मधेपुरा।